



कोटेशन आमंत्रण

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत कार्यालय के Maker एवं Checker का DSC उपकरण कर श्रेणी Grade-2 एवं उसमें Signature with encryption तकनीक की सुबिधायुक्त निर्माण किया जाना है। इस निमित्त DSC निर्माण कार्य में सक्षम, योग्य एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से प्रकाशन से 07 दिनों के अन्दर कोटेशन की मांग की जाती है। कोटेशन आमंत्रण में निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है:

1. कोटेशन दो भागों में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग लिफाफा में करते हुए द्विलिफाफा पद्धति के तहत जमा किया जाना है।
2. कोटेशन के साथ DSC निर्माण कार्य में सक्षम होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।
3. कोटेशन के साथ प्रतिष्ठान के निबंधन का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
4. कोटेशन में DSC निर्माण (श्रेणी-2) की दर प्रति इकाई सभी करों के साथ होनी चाहिये।
5. DSC निर्माण के विपत्र के भुगतान में बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संबंधित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
6. कोटेशन जिला पंचायत राज कार्यालय में कार्यालय समयावधि में जमा किया जाना है।


जिला पंचायत राज पदाधिकारी
जिला पंचायत कार्यालय
भागलपुर।
28/12/2020

ज्ञापांक 2478 / पंचायत, भागलपुर दिनांक 28.12.2020
प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि कोटेशन आमंत्रण को जिला के वेवसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।



जिला पंचायत राज पदाधिकारी
जिला पंचायत कार्यालय
भागलपुर।
28/12/2020



कोटेशन आमंत्रण

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत कार्यालय के Maker एवं Checker का DSC उपकरण कर श्रेणी Grade-2 एवं उसमें Signature with encryption तकनीक की सुबिधायुक्त निर्माण किया जाना है। इस निमित्त DSC निर्माण कार्य में सक्षम, योग्य एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से प्रकाशन से 07 दिनों के अन्दर कोटेशन की मांग की जाती है। कोटेशन आमंत्रण में निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है:

1. कोटेशन दो भागों में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग लिफाफा में करते हुए द्विलिफाफा पद्धति के तहत जमा किया जाना है।
2. कोटेशन के साथ DSC निर्माण कार्य में सक्षम होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।
3. कोटेशन के साथ प्रतिष्ठान के निबंधन का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
4. कोटेशन में DSC निर्माण (श्रेणी-2) की दर प्रति इकाई सभी करों के साथ होनी चाहिये।
5. DSC निर्माण के विपत्र के भुगतान में बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संबंधित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
6. कोटेशन जिला पंचायत राज कार्यालय में कार्यालय समयावधि में जमा किया जाना है।


जिला पंचायत राज पदाधिकारी
जिला पंचायत कार्यालय
भागलपुर।